न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण सं0 44/2019

प्रार्थीगणः—

1. श्रीमती हर्षिता जैन पत्नि श्री अशोक कुमार उम्र 48 वर्ष जाति जैन निवासी वीर दुर्गादास नगर, पाली (राज0)
2. श्रीमती वन्दना पत्नि श्री रजनीश उम्र 50 वर्ष, जाति जैन निवासी अम्बेडकर सर्किल, पाली (राज0)
3. श्री राजेश कर्नावट पुत्र श्री चन्दुलाल, उम्र 52 वर्ष जाति जैन निवासी पावटा जोधपुर (राज.), हाल निवासी अहिंसा कॉम्पलेक्श, अम्बेडकर सर्किल, पाली (राज0)

बनाम अप्रार्थीगणः—

1. श्री बदरूदीन पुत्र श्री नसीर अहमद कौम मुसलमान निवासी बासनी जिला नागौर (राज0)

   1/1 नाजमा जोजे आफाक अहमद, जाति नागौरी मुसलमान

   1/2 हदिका जोजे इमरान अहमद, जाति नागौरी मुसलमान

   1/3 सफीया जोजे सैफूरहमान जाति नागौरी मुसलमान, निवासीगण बासनी, तहसील व जिला नागौर (राज0) हाल मुकाम नागौरी फार्म जोधपुर रोड़, पाली।

2. श्री भैरचन्द पियुशकुमार (एच.यू.एफ.) जरियेकर्ता भेरचन्द गोगड़ पुत्र श्री चुन्नीलाल गोगड़ जाति जैन निवासी ए—84, वीर दुर्गादास नगर, पाली (राज.)
3. श्री भैरचन्द भरतकुमार (एच.यू.एफ.) जरिये कर्ता भेरचंद गोगड़ पुत्र श्री चुन्नीलाल गोगड़ जाति जैन निवासी ए—84, वीर दुर्गादास नगर, पाली (राज.)
4. श्रीमती निर्मलादेवी बोहरा पत्नि श्री अशोक कुमार बोहरा जाति जैन, निवासी 85, महावीर नगर, पाली (राज.)
5. श्री मो0 हारून पुत्र श्री फकीर मो0 जाति शेख मुसलमान,
6. श्री मो0 इकबाल पुत्र फकीर मो., जाति शेख मुसलमाल
7. श्री अब्दुल जावेद पुत्र श्री अब्दुल मजीद

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

जाति अंसारी मुसलमान निवासीगण इन्द्रा कॉलोनी, पाली

8. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, पाली (राज.)

9. भूमि अवाप्ति अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) पाली (राज.)।

उपस्थितिः–

1. श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण।
2. श्री पी.एम. जोशी, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 4
3. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3
4. श्री केसर सिंह, तहसीलदार पाली (सरकारी पैराकार)

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:आदेशः– दिनांक 06.01.2020

1. प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी की राजस्व रेकर्ड व नक्शे में दर्ज शामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन पाली चक नम्बर 2 खसरा नम्बर 1614 रकबा 189 बीघा 19 बिस्वा किस्म बारानी दोयम लगान 70.28 रूपये की आई हुई है। उक्त भूमि का पूर्व खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 था। उक्त भूमि रकबा 189 बीघा 19 बिस्वा भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अप्रार्थी संख्या 9 द्वारा सड़क निर्माण हेतु भूमि आवाप्त की गई। शेष बची भूमि में से उक्त अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उत्तरोतर खरीददारों को मौके पर अलग अलग हिस्से अनुसार वादग्रस्त भूमि का बेचाण करता रहा। जिसमें प्रार्थीगण अपने खरीदसुदा हिस्से की भूमि के काबिज रेकर्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर वर्ममान में मौके पर फसल खड़ी है व शेष आराजी पर अप्रार्थी अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। वर्तमांन जमाबंदी व पूर्ववर्ती जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपनें अपने खरीदसुदा हिस्से की भूमि पर मौके पर पूर्ववर्ती खातेदारों को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी बेचाण की भूमि अनुसार मौके पर अलग अलग अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थीगण के अपने हिस्से की भूमि पर मौके पर पर अलग स्थित है तथा प्रार्थीगण के हिस्से की भूमिपर तारबंदी की हुई है तथा मौके पर धोरापाली की हुई है। इसी अनुरूप अन्य अप्रार्थीगण भी अपने हिस्से की भूमि पर पूर्ववर्ती खातेदारों से खरीद की थी। इस भूमि का पूर्व में ही खातेदारों के बीच आपसी सहमति से मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा बेचाण दस्तावेज अनुसार अलग अलग बंटवाड़ा हो रहा था। इसी माफिक विक्रेतागण के खरीददार अप्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि का कब्जा मौके पर सौंपे दिया। वादग्रस्त भूमि के मौके पर आपसी बंटवाड़ा के कब्जे अनुसार अप्रार्थी काबिज काश्त है। अपने हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा का वाद पेश किया जो श्रीमान न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 का 30 बीघा 15 बिस्वा अप्रार्थी संख्या 1.1 नाजमा का 8 बीघा 11 बिस्वा, अप्रार्थी संख्या 1.2 हदिका 8 बीघा व अप्रार्थी संख्या 1.3 सफीया 8 बीघा, अप्रार्थी अप्रार्थी संख्या 2 का 33 बीघा, अप्रार्थी संख्या 3 का 25

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

बीघा 17 बिस्वा, अप्रार्थी संख्या 4 का 35 बीघा 3 बिस्वा, अप्रार्थी संख्या 5 से 7 का 15 बीघा, प्रार्थी संख्या 3 राजेश कर्नावट का 11 बिस्वा व रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा एवं प्रार्थी संख्या 1 का 4 बीघा, प्रार्थी संख्या 2 का 16 बीघा 7 बिस्वा भूमि के हिस्से के खातेदार रेकर्डेड काश्तकार हैं। उक्त खातेदारों ने पूर्वोतर खातेदारान जिन्होंने अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि रकबा 189 बीघा 19 बिस्वा भूमि का बंटवाड़ा करते हुए विक्रय की। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अपने भूमि के बंटवाड़ा अनुसार पूर्व खातेदारों व वर्ममान खातेदारां को आपसी सहमति से बंटवाड़ा के हिस्से का कब्जा सुपुर्द किया। जो खातेदार काश्तकार अपने हिस्से अनुसार आपसी बंटवाड़ा की भूमि पर कब्जा काश्त बदस्तुर कायम है। उक्त खातेदारों ने अपने मौखिक काबिज बंटवाड़ा के हिस्से की भूमि का उत्तरोतर खरीददारों को बेचाण हस्तान्तरण किया। जिसके अनुरूप उत्तरोतर खरीददार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण व खातेदार वादग्रस्त भमि के मौके के आपसी बंटवाड़ा अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। जो माफिक आपसी अंटवाड़ा अनुसार मौके पर काबिज है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 9 की राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु आवाप्त की भूमि 22 बीघा 151 बिस्वा भूमि मौके पर अलग स्थित है जिसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नहीं है।

उपरोक्त प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने माफिक खरीदसुदा भूमि अपने हिस्से अनुसार तथा आपसी बंटवाड़ा अनुसार मौके पर अलग अलग अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त हैं तथा पूर्ववर्ती खातेदारों ने अपने हिस्से की भूमि का आगे से आगे बेचाण हस्तांतरण किया। जिस पर माफिक खरीददार उनके हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है तथा प्रार्थी अपने वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी संख्या 1 अपने 4 बीघा भूमि व प्रार्थी संख्या 2 श्रीमती वंदना का 16 बीघा 7 बिस्वा भूमि व प्रार्थी संख्या 3 राजेश कर्नावट का 11 बिस्वा व रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा की भूमि पर संलग्न विक्रय पत्र के आधार पर अपनी खरीदसुदा भूमि पर काबिज काश्त है। प्रार्थी के अपने हिस्से की भूमि पर तारबंदी व धोरापाली की हुइ है। उक्त भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि में से रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा भूमि सड़क निर्माण हेतु अवाप्त की गई मौके पर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है। जो राजमार्ग की भूमि राजस्व नक्शे में व राजस्व पत्रावली में दर्ज नहीं है तथा राजस्व रेकर्ड को राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा दर्ज नहीं होने स हिस्सा विशेष के भाग को लेकर विवाद है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग की अवाप्त की भूमि का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में जानबूझ कर दर्ज नहीं किया जो राजस्व रेकर्ड की शुद्धि हेतु यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी पेश है। चूंकि हल्का पटवारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि रकबा 22 बीघा 151 बिस्वा गिरदावरी में दर्ज की गई लेकिन जमाबंदी में दर्ज नहीं करने से हिस्सा विशेष का नहीं हो इस कारण राजस्व प्रविष्टि में शुद्धिकरण हेतु यह आवेदन तत्काल पेश है।

यह है कि खसरा नंबर 1614 की भूमि में से रकबा 22 बीघा 151 बिस्वा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि में से अवाप्त की गई। उक्त अवाप्त की भूमि की जानकारी तहसीलदार साहब पाली को होते हुए उन्होंने अवाप्त की भूमि को रकबा मूल खातेदार की भूमि से सेटेपार्ट नहीं की गई। उक्त राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं करने रेकर्ड की अशुद्धि निरन्तर दर्ज होती रही हैं। प्रार्थी व अप्रार्थी ने खसरा नम्बर 1614 की भूमि में अपने अपने खरीदसुदा भूमि के हिस्से की भूमि के बंटवाड़ा हेतु वाद प्रस्तुत किया तब जानकारी में आया कि राजस्व नक्शे में व जमाबंदी में राष्ट्रीय राजमार्ग की अवाप्त की गई भूमि का इन्द्राज दर्ज नहीं किया न ही राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा सेटेपार्ट किया गया। इस कारण रेकर्ड में अशुद्धि दर्ज होने से पक्षकारों का सही हिस्सा निर्धारण नहीं हो सका। इस कारण राजस्व रेकर्ड में चल रही अशुद्धि के इन्द्राज को सही दर्ज कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

विरूद्ध अप्रार्थी पेश है। अप्रार्थी संख्या 1 ही उक्त खसरा नंबर 1614 की भूमि के मूल खातेदार थे तथा मूल खातेदार के इन्द्राज रहते राष्ट्रीय राजमार्ग की अवाप्त की गई भूमि आवाप्त की गई। जिसके खातेदार का इन्द्राज अधिसूचना 25.11.2009 में दर्ज है। राजस्व रेकर्ड में मूल खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि मे से राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि अवाप्त होने पर उक्त अवाप्त की भूमि का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड नक्शा व जमाबंदी में अलग से दर्ज किया जाना आवश्यक है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में सभी प्रविष्टि अशुद्ध चल रही है चुंकि प्रार्थीगण ने श्रीमान न्यायालय में अपनी खरीदसुदा भूमि का बंटवाड़ा हेतु वाद पेश किया तब बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री के दौरान हिस्सा विशेष का विवाद होने पर जानकारी में आया कि तत्कालीन हंल्का पटवारी व राजस्व अधिकारियों ने सड़क निर्माण हेतु अवाप्त की भूमि का इन्द्राज पटवारी व राजस्व अधिकारियों ने सड़क निर्माण हेतु आवाप्त की भूमि का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड व नक्शे में दर्ज नहीं किया। इस कारण हिस्सा विशेष का विवाद होने पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज अशुद्ध प्रविष्टि की जानकारी हुई तब राजस्व रेकर्ड में ही प्रविष्टि दर्ज कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र है कि पाली चक नं. 2 के खसरा नम्बर 1614 मे चल रही राजस्व प्रविष्टि की अशुद्धि का सही इन्द्राज खसरा नम्बर 1614 की भूमि में से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 से 7 की खरीदसुदा भूमि का रकबा अलग अलग राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे तथा खसरा नम्बर 1614 के मूल खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग की अवाप्त की गई भूमि रकबा 22 बीघा 151 बिस्वा का रकबा अलग अलग राजस्व जमाबंदी व राजस्व नक्शे में अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से की भूमि में से कम करते शेष भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज किया जावे तथा राजस्व रेकर्ड व राजस्व जमाबंदी में दर्ज चल रही राजस्व प्रविष्टि की अशुद्धि की सही शुद्धि दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. वकील अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2,3 व वकील अभिभाषक अप्रार्थी 4 व अप्रार्थी संख्या 5,6,7 ने जवाब पेश नहीं कर बहस हेतू निवेदन किया।

4. अप्रार्थीगण संख्या 1, 1.1,1.2 व 1.3 के नोटिस बावजुद तामिल के न्यायालय मे उपस्थित नहीं आयें। दिनांक 23–12–2019 को उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश दिया गया।

5. बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

6. वकील प्रार्थीगण ने बहस के द्वौरान निवेदन किया की पाली चक नम्बर 2 खसरा नम्बर 1614 रकबा 189 बीघा 19 बिस्वा किस्म बारानी दोयम लगान 70.28 रूपये की आई हुई है। उक्त भूमि का पूर्व खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 था।उक्त भूमि रकबा 189 बीघा 19 बिस्वा भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अप्रार्थी संख्या 9 द्वारा सड़क निर्माण हेतु 24.12 बीघा भूमि आवाप्त की जाकर नये खसरा नम्बर 1614/1 जारी हुये तथा शेष बची भूमि में से उक्त अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उत्तरोतर खरीददारों को मौके पर अलग अलग हिस्से अनुसार वादग्रस्त भूमि का बेचाण करता रहा। जिसमें प्रार्थीगण अपने खरीदसुदा हिस्से की भूमि के काबिज रेकर्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर वर्तमान में मौके पर फसल खड़ी है व शेष आराजी पर अप्रार्थी अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। वर्तमान जमाबंदी व पूर्ववर्ती जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने अपने

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

खरीदसुदा हिस्से की भूमि पर मौके पर पूर्ववर्ती खातेदारों को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी बेचाण की भूमि अनुसार मौके पर अलग अलग अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थीगण के अपने हिस्से की भूमि पर मौके पर पर अलग स्थित है तथा प्रार्थीगण के हिस्से की भूमिपर तारबंदी की हुई है तथा मौके पर धोरापाली की हुई है। इसी अनुरूप अन्य अप्रार्थीगण भी अपने हिस्से की भूमि पर पूर्ववर्ती खातेदारों से खरीद की थी। इस भूमि का पूर्व में ही खातेदारों के बीच आपसी सहमति से मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा बेचाण दस्तावेज अनुसार अलग अलग बंटवाड़ा हो रहा था। इसी माफिक विक्रेतागण के खरीददार अप्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि का कब्जा मौके पर सौंपे दिया। वादग्रस्त भूमि के मौके पर आपसी बंटवाड़ा के कब्जे अनुसार अप्रार्थी काबिज काश्त है। अपने हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा का वाद पेश किया जो श्रीमान न्यायालय में विचाराधीन है। भूमि में खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 का 30 बीघा 15 बिस्वा अप्रार्थी संख्या 1.1 नाजमा का 8 बीघा 11 बिस्वा, अप्रार्थी संख्या 1.2 हदिका 8 बीघा व अप्रार्थी संख्या 1.3 सफीया 8 बीघा, अप्रार्थी अप्रार्थी संख्या 2 का 33 बीघा, अप्रार्थी संख्या 3 का 25 बीघा 17 बिस्वा, अप्रार्थी संख्या 4 का 35 बीघा 3 बिस्वा, अप्रार्थी संख्या 5 से 7 का 15 बीघा, प्रार्थी संख्या 3 राजेश कर्नावट का 11 बिस्वा व रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा एवं प्रार्थी संख्या 1 का 4 बीघा, प्रार्थी संख्या 2 का 16 बीघा 7 बिस्वा भूमि के हिस्से के खातेदार रेकर्डेड काश्तकार हैं। उक्त खातेदारों ने पूर्वोतर खातेदारान जिन्होंने अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि रकबा 189 बीघा 19 बिस्वा भूमि का बंटवाड़ा करते हुए विक्रय की। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अपने भूमि के बंटवाड़ा अनुसार पूर्व खातेदारों व वर्तमान खातेदारां को आपसी सहमति से बंटवाड़ा के हिस्से का कब्जा सुपुर्द किया। जो खातेदार काश्तकार अपने हिस्से अनुसार आपसी बंटवाड़ा की भूमि पर कब्जा काश्त बदस्तुर कायम है। उक्त खातेदारों ने अपने मौखिक काबिज बंटवाड़ा के हिस्से की भूमि का उत्तरोतर खरीददारों को बेचाण हस्तान्तरण किया। जिसके अनुरूप उत्तरोतर खरीददार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण व खातेदार वादग्रस्त भुमि के मौके के आपसी बंटवाड़ा अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। जो माफिक आपसी अंटवाड़ा अनुसार मौके पर काबिज है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 9 की राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु आवाप्त की भूमि 24 बीघा 12 बिस्वा भूमि मौके पर अलग स्थित है जिसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नहीं है। पाली चक नं. 2 के खसरा नम्बर 1614 मे चल रही राजस्व प्रविष्टि की अशुद्धि का सही इन्द्राज खसरा नम्बर 1614 की भूमि में से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 से 7 की खरीदसुदा भूमि का रकबा अलग अलग राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे तथा खसरा नम्बर 1614 के मूल खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग की अवाप्त की गई भूमि रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा का रकबा अलग अलग राजस्व जमाबंदी व राजस्व नक्शे में अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से की भूमि में से कम करते शेष भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज किया जावे तथा राजस्व रेकर्ड व राजस्व जमाबंदी में दर्ज चल रही राजस्व प्रविष्टि की अशुद्धि की सही शुद्धि दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

वकील अप्रार्थीगण 2, 3 व 4 ने भी वकील प्रार्थीगण के तथ्यों का समर्थन करते हुये निवेदन किया की उक्त भूमि में खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 का 30 बीघा 15 बिस्वा अप्रार्थी संख्या 1.1 नाजमा का 8 बीघा 11 बिस्वा, अप्रार्थी संख्या 1.2 हदिका 8 बीघा व अप्रार्थी संख्या 1.3 सफीया 8 बीघा, अप्रार्थी अप्रार्थी संख्या 2 का 33 बीघा, अप्रार्थी संख्या 3 का 25 बीघा 17 बिस्वा, अप्रार्थी संख्या 4 का 35 बीघा 3 बिस्वा, अप्रार्थी संख्या 5 से 7 का 15 बीघा, प्रार्थी संख्या 3 राजेश कर्नावट का 11 बिस्वा व रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा एवं प्रार्थी संख्या 1 का 4 बीघा, प्रार्थी संख्या 2 का 16 बीघा 7 बिस्वा भूमि के हिस्से के खातेदार रेकर्डेड काश्तकार हैं। उक्त खातेदारों ने पूर्वोतर खातेदारान जिन्होंने अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

रकबा 189 बीघा 19 बिस्वा भूमि का बंटवाड़ा करते हुए विक्रय की। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अपने भूमि के बंटवाड़ा अनुसार पूर्व खातेदारों व वर्तमान खातेदारां को आपसी सहमति से बंटवाड़ा के हिस्से का कब्जा सुपुर्द किया। जो खातेदार काश्तकार अपने हिस्से अनुसार आपसी बंटवाड़ा की भूमि पर कब्जा काश्त बदस्तुर कायम है। उक्त खातेदारों ने अपने मौखिक काबिज बंटवाड़ा के हिस्से की भूमि का उत्तरोतर खरीददारों को बेचाण हस्तान्तरण किया। जिसके अनुरूप उत्तरोतर खरीददार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण व खातेदार वादग्रस्त भुमि के मौके के आपसी बंटवाड़ा अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। जो माफिक आपसी बंटवाड़ा अनुसार मौके पर काबिज है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 9 की राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु आवाप्त की भूमि 24 बीघा 12 बिस्वा भूमि मौके पर अलग स्थित है जिसका इन्द्राज राजस्व नक्शे में अलग से दर्ज नहीं है। पाली चक नं. 2 के खसरा नम्बर 1614 मे चल रही राजस्व प्रविष्टि की अशुद्धि का सही इन्द्राज खसरा नम्बर 1614 की भूमि में से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 से 7 की खरीदसुदा भूमि का रकबा अलग अलग राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे तथा खसरा नम्बर 1614 के मूल खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग की अवाप्त की गई भूमि रकबा 24 बीघा 24 बिस्वा का रकबा अलग अलग राजस्व जमाबंदी व राजस्व नक्शे में अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से की भूमि में से कम करते शेष भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज किया जावे तथा राजस्व रेकर्ड व राजस्व जमाबंदी में दर्ज चल रही राजस्व प्रविष्टि की अशुद्धि की सही शुद्धि दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

8. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की अवाप्त की गई भूमि रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा का रकबा का राजस्व नक्शे मे नये खसरा नम्बर 1614/1 का अलग से तरमीम नहीं है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकर्ड ग्राम पाली चक 2 की जमाबंदी के खाता संख्या 205 के खसरा संख्या 1614/1 कुल रकबा 24.12 बीघा राष्ट्रीय राजमार्ग का राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त कर राजस्व नक्शे मे पृथक से तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार, पाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पाली

यह आदेश आज दिनांक 06.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.01.30 13:35:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: